

मिस्त्री देवी वर्मा वगैरह ताराचंद वर्मा

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज                      मुं० नं० - 310/2015</p>	<p>नम्बर व तारीख                      अहकाम जो इस                      हुक्म की तालीम                      में जारी हुए</p>
<p>23-5-18</p>	<p>पञ्जाब ली अण्डर न्यायालय आर्किव द्वार                      अभियान - 2018 के तहत आर्किव का कार्य                      लोक अदालत कैम्प - अमृतसर में यजमानों                      पेशा हुई। काशीका में के कादीका व 2                      मिस्त्री देवी ने उपरिपुत्र होकर अपनी अन्य                      बहनों की सहमति से सफाया को अनेक                      वर्षों परावर लोक अदालत की मजमा                      से विद्रा किये जाते का प्राप्ति पर                      जेश किया। कादीका द्वारा एक प्राप्ति                      पर विद्रा स्वीकार किया जाकर काद                      पर के विद्रा पर शरीक किये जाते                      की स्वीकृति दी जाती है। पञ्जाब ली अण्डर                      अण्डर होकर काद यजमानों का विद्रा                      दफ्तर है।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक                      23-5-18 को राजस्व लोक अदालत कैम्प -                      अमृतसर के मजमे - ए - अण्डर में                      सुनाया गया।</p> <p>Gm-</p> <p>(ब्रह्म लाला जार)                      RAS                      SDO - सीता चोपड़ा                      कैम्प - अमृतसर.</p>	<p>मिस्त्री</p>